न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 35/2022

अनवान : –

1. सुमेरसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत हाल सरपंच ग्राम पंचायत खुंईया तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र फुलाराम जाति मेघवाल निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. प्रभूराम पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
2. महावीर प्रसाद पुत्र सेवाराम जाति ब्राहमण निवासी सुरजनसर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–1. **श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 26/12/23

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 जो की ग्राम पंचायत खुंईया के हाल सरपंच है तथा गैरसायल संख्या 1 व 2 गांव सुरजनसर तहसील नोहर के गणमान्य नागरिक है। गांव सुरजनसर ग्राम पंचायत खुंईया में स्थित है तथा सुरजनसर के खसरा न0 183/2 की 1.1390 हैक्ट भूमि शमशान घाट की भूमि है जिसमें समस्त गांव की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है तथा सुरजनसर शमशान घाट की भूमि जहा पिढ़ियों से गांव सुरजनसर के निवासी मृत शरीर का अंतिम संस्कार करते आ रहे है तथा शमशान की भूमि में आवागमन के लिए गैरसायल संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा न0 183/2 की 6.3250 हैक्ट भूमि में से होकर शमशान घाट में प्रवेश करते है। मंजूरशुदा रास्ता के बीच में खसरा न0 383/2 की भूमि पड़ती है इसके अलावा कोई रास्ता नही है तथा यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है तथा रास्ता सदामत से चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण हमेशा झगड़े की सम्भावना बनी रहती है इसलिए खसरा न0 383/2 में गांव सुरजनसर से आगे मंजुरशुदा रास्ता से आगे 1/1 बीस्वा चौड़ा रास्ता खसरा न0 383/1 तक पंहुचने के लिए स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः समस्त ग्रामवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:39 IST
Reason: SelfAttested

मंजूरशुदा रास्ते से आगे शमशान घर तक 1 बीस्वा चौड़ा खसरा न0 383/1 तक ली जाकर गै0 मु0 रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं रास्ते के बदले की भूमि में डीएलसी की दर से जैसा अदालत आदेश पारित करेगी अप्रार्थीगण को दी जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 383/2 में से 1 बिस्वा चौड़ा रास्ता शमशान घाट तक गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे रास्ता के बदले में डीएलसी की दर से या जितनी राशि अदालत आदेश पारित करेगी दे दी जावेगी।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्त जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि शमशान की भूमि में आवागन के लिए खसरा न0 383/2 की 6.3250 हैक्ट भूमि मे से होकर शमशान घाट की भूमि में प्रवेश नही करते है एवं मन्जूरशुदा रास्ता के बीच में खसरा न0 383/2 की भूमि नही पड़ती है एवं उत्तरदाता गैरसायल संख्या 1 व 2 के खेत में से आवागमन नही रहा है और न ही उत्तरदाता के खेत में कभी रास्ता का आवागमन रहा है। प्रार्थी उक्त रास्ता को अप्रार्थीगण की खातेदारी से मंजुर करवा पाने के अधिकारी नही है। अगर उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो गैरसायल के खेत के दो टूकड़े हो जायेंगे व कृषि भूमि काश्त योग्य नही रहेगी। रोही मौजा सुरजनसर से मिनकदेसर जाने के कलए ख0न0 378 में रास्ता स्वीकृत है तथा रोही मौजा सुरजनसर के ख0न0 493/383 की कृषि भूमि शमशान घाट के ख0न0 383/1 की भूमि सबसे नजदीक व सुविधाजनक है एवं ख0न0 493/383 की भूमि में से काश्तकार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया गया है एवं ख0न0 493/383 की कृषि भूमि में से रास्ता सबसे नजदीक एवं सुविधाजनक होने के कारण सायलान यही से रास्ता स्वीकृत करवा पाने के अधिकारी है तथा मौका रिपोर्ट तैयार के समय अप्रार्थीगण को नोटिस नही दिया गया एवं एक तरफा रिपोर्ट तैयार की गई है।

तहसीलदार नोहर के पत्रांक 280 दिनांक 23.05.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी वर्तमान में ख0न0 383/2 का रास्ता काम में ले रहे है। रास्ता दिया जाना आवश्यक है की अनुशंषा की गई है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सायल शमशान भूमि में जाने के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ता का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई भी वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः अप्रार्थीगण के रोही मौजा सुरजनसर के खसरा न0 383/2 में से एक बिस्वा रास्ता मंजुर करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त रास्ता का कभी भी अप्रार्थीगण द्वारा उपयोग नही किया गया हैं शमशान भूमि में जाने हेतु पूर्व में रास्ता मौजूद है तथा वर्तमान में प्रार्थी गैरसायल अप्रार्थी के खेत में नियम विरूद्ध रास्ता की मांग कर रहे है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खाता संख्या 149 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। सायल के कथनानुसार सायल को उसकी गांव के शमशान भूमि के खसरा न0 383/1 में जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता नही है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है। तहसीलदार नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खसरा न0 383/2 में से होकर खसरा न0 383/1 की शमशान भूमि में प्रवेश करता है जो की सबसे सुविधाजनक व छोटा रास्ता है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना न्यायोचित है तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता नही है जो गैरसायलान के नाम दर्ज भूमि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खसरा न0 383/2 में दिया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के खसरा न0 383/2 में से एक बिस्वा चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा मे दर्ज अनुसार गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावे। उक्त रास्ता भूमि की एवज में प्रार्थीगण द्वार डीएलसी रेट की दुगुनी राशि तहसील कार्यालय में जमा करवायेंगे तथा तहसीलदार नोहर राशि जमा होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर मौके पर चालू करवाना सुनिश्चित करे एवं नियमानुसार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावें। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:39 IST
Reason: SelfAttested